[redacted]

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

।। अधिसूचना ।।

3/नि० अरा०–52/2016.......4315/ राँची,दिनांक 23-08-17

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के (निबंधन प्रभाग) के लिए लिपिकीय संवर्ग में भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–

(i) संक्षिप्त नाम :– यह नियमावली, "झारखण्ड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्ते) नियमावली–2017" कही जायेगी

(ii) विस्तार :– इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) प्रभाव की तिथि :– यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ–

(क) राज्य :– 'राज्य' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य,

(ख) संवर्ग :– 'संवर्ग' से तात्पर्य है राज्य के अधीन निबंधन लिपिकीय संवर्ग;

(ग) आयोग :– 'आयोग' से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग;

(घ) विभाग :– 'विभाग' से अभिप्रेत है राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग;

(ड.) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है जिला निबंधक–सह–उपायुक्त;

(च) परीक्ष्यमान :–'परीक्ष्यमान से तात्पर्य है वह सरकारी सेवक जो जिलास्तरीय निबंधन लिपिकीय संवर्ग की किसी मौलिक रिक्ति में या उसके विरूद्ध परीक्ष्यमान रूप से नियोजित हो;

(छ) 'वरीयता सूची' से अभिप्रेत है लिपिकों की वरीयता सूची जो नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को संधारित हो या उसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार पुनरीक्षित हो;

(ज) 'नियंत्री पदाधिकारी' से अभिप्रेत है प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग;

(झ) 'भर्त्ती वर्ष' से अभिप्रेत है कैलेण्डर वर्ष (1ली जनवरी से 31 दिसम्बर)।

23/08/17

3. संवर्गीय संरचना एवं बल :–

(क) जिलों के जिलास्तरीय निबंधन लिपिकीय संवर्ग में निम्न कोटि के पद होंगे :–

क्र॰	कोटि/पदनाम	वेतनमान	सेवा समूह (कार्मिक प्र॰सु॰ तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक–5216 दि॰–30.08.2010 के अनुसार)	श्रेणी
(i)	अस्थायी लिपिक (मूल कोटि)	₹5200–20200 (पी॰बी॰–I) ग्रेड वेतन–1900 पुनरीक्षित वेतनमान 19900–63200 Level-2	समूह 'ग'	अराजपत्रित
(ii)	स्थायी लिपिक (प्रोन्नति के पद)	₹5200–20200 (पी॰बी॰–I) ग्रेड वेतन– 2400 पुनरीक्षित वेतनमान 25,500–81100 Level-4	समूह 'ग'	अराजपत्रित
(iii)	प्रधान लिपिक (प्रोन्नति के पद)	₹9300–34800 (पी॰बी॰–II) ग्रेड वेतन–4200 पुनरीक्षित वेतनमान 35,400–112400 Level-6	समूह 'ख'	अराजपत्रित

(ख) अधिकृत बल :– लिपिकीय पदों के अधिकृत बल वही होंगे जो किसी कार्यालय के लिपिकीय कार्यो के लिए वर्त्तमान अधिकृत बल है या इस कार्य हेतु समय–समय पर स्वीकृत की जाय।

(ग) प्रत्येक जिलास्तरीय निबंधन लिपिकीय संवर्ग के अधीन विभिन्न कार्यालयों के लिए स्वीकृत सम्वर्ग बल में कोटिवार पदों की अनुमान्यता निम्न प्रकार निर्धारित होगी :–

(i) जिलास्तरीय निबंधन लिपिकीय संवर्ग के अधिकृत बल का 55 प्रतिशत पद अस्थायी लिपिक के पद माने जायेंगे।

(ii) अधिकृत बल के 35 प्रतिशत लिपिकीय पद स्थायी लिपिक के रूप में प्रोन्नति के पद होंगे।

(iii) अधिकृत बल का 10 प्रतिशत पद प्रधान लिपिक के पद माने जायेंगे।

4 (क) अस्थायी लिपिक के पद पर भर्त्ती की प्रक्रिया

(i) रिक्ति की गणना :– प्रत्येक वर्ष 1 ली जनवरी को आधार तिथि मान कर रिक्तियाँ की गणना की जायेगी। कोटि में 85 प्रतिशत पद सीधी भर्त्ती से तथा 15 प्रतिशत पद समूह 'घ' से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

23/03/17

[redacted]

(ii) जिलास्तरीय निबंधन लिपिकीय संवर्ग पदों की भर्त्ती निबंधन कार्यालय संवर्ग की अधियाचित रिक्ति के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा से प्राप्त चयनित उम्मीदवारों की सूची में से मेधा क्रम के अनुसार आरक्षण का पालन करते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

(iii) रिक्तियों का नियतीकरण :— प्रत्येक वर्ष 1 ली जनवरी को होने वाली रिक्ति का 85 प्रतिशत सीधी भर्त्ती के लिए तथा शेष 15 प्रतिशत पदों पर समूह 'घ' के नियमित स्थापना में नियुक्त एवं लिपिक के निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखने वाले समूह 'घ' के योग्य कर्मियों की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति से अनुमान्य होगी।

(iv) **आरक्षण** :— राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित जिला स्तरीय आरक्षण नीति एवं रोस्टर लागू होंगे।

(v) नियोजन के क्रम में अन्य सभी मामलों में समानता होने की स्थिति में स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा।

(ख) <u>शैक्षणिक योग्यता :—</u>

(i) अनिवार्य योग्यता :— सीधी भर्त्ती एवं सीमित प्रतियोगिता से भर्त्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इंटरमीडियेट काउंसिल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडियेट या 10+2 कक्षा उर्त्तीण होना अनिवार्य है।

(ii) हिन्दी टाईपिंग में कम—से—कम 25 शब्द प्रति मिनट टाईपिंग की गति अनिवार्य अर्हत्ता होगी। कम्प्यूटर चालन एवं टाईपिंग के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान वांछनीय योग्यता होगी।

(ग) उम्र सीमा :— न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वह होगी जो सीधी भर्त्ती हेतु सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित हो।

(घ) चयन प्रक्रिया :— कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, की अधिसूचना संख्या—8566 दिनांक—28.09.2015 के द्वारा गठित एवं समय—समय पर यथासंशोधित 'झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडियेट/+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015' के प्रावधानों के अनुसार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार करेगा और सक्षम प्राधिकार की अधियाचना के अनुसार सम्बद्ध प्राधिकार को मेधा सूची उपलब्ध करायेगा।

(ड.) तत्पश्चात सक्षम नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा भर्त्ती हेतु अपेक्षित कार्रवाई करते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा। सफल उम्मीदवारों को योगदान करने के लिए अधिकतम एक माह का समय दिया जायेगा।

5. **परिवीक्षा की अवधि एवं प्रशिक्षण**

लिपिकीय पदों पर खुली प्रतियोगिता/सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्तकर्मी नियुक्ति होने की तिथि से परिवीक्षाधीन लिपिक माना जायेगा जिन्हें जिलास्तरीय निबंधन लिपिकीय संवर्ग के कार्यालयों के विभिन्न शाखा के अभिलेखों के संधारण एवं टंकण आदि का परिबोध प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण की यह अवधि न्यूनतम तीन माह की होगी तथा इसका संचालन एवं व्यवस्था नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर से की जायेगी।

6. **सम्पुष्टि**

परिवीक्षा अवधि दो वर्षो की होगी। कार्यालय प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा एवं राजस्व पर्षद् द्वारा संचालित लेखा परीक्षा में उत्तीणता हासिल करने के पश्चात उनकी सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतन वृद्धि देय होगी लेकिन बकाया वेतन देय नहीं होगा।

7. **नियुक्ति**

अधियाचित रिक्ति के विरूद्ध आयोग द्वारा सफल उम्मीदवारों का आवंटन मेधा–सह–विकल्प के आधार पर संबंधित जिलास्तरीय निबंधन लिपिकीय संवर्ग के नियुक्ति प्राधिकार को की जायेगी।

8. **वरीयता**

अस्थायी लिपिक के पद पर नियुक्त लिपिकों का पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधासूची के आधार पर संधारित की जायेगी एवं अन्य पदों पर एतद् विषयक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के आलोक में निर्धारित होगी।

[redacted]

(i) वरीयता विभागीय स्तर पर संधारित होगी।

(ii) इस संवर्ग में पूर्व से कार्यरत लिपिकीय पदों की वरीयता उनकी नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार रहेगी तथा एक ही तिथि को नियुक्त कर्मियों की वरीयता उनकी जन्म तिथि या जन्म तिथि एक रहने पर नामों के प्रारम्भिक अक्षर के आधार पर निर्धारित होगी।

(iii) कर्मियों की भर्त्ती एक साथ ही प्रोन्नति और सीधी नियुक्ति से होने की स्थिति में प्रोन्नत कर्मियों को सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मियों के मुकाबले वरीयता मिलेगी।

9. <u>प्रोन्नति</u>

(i) संवर्गीय संरचना में निम्नतर से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति वरीयता–सह–योग्यता (Seniority-cum-Merit) पर आधारित होगी।

(ii) प्रोन्नति हेतु पदों का कोटिवार (Gradewise) कर्णाकन केन्द्रीकृत रूप से विभागीय स्तर से की जायेगी।

(iii) प्रोन्नति के निमित्त वरीयता सूची विभागीय स्तर पर संधारित होगी एवं उक्त सूची से प्रोन्नति दी जायेगी। लिपिकों की समेकित वरीयता सूची आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा क्रमानुसार होगी।

(iv) प्रोन्नत कर्मियों की पारस्परिक वरीयता एतद् विषय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार होगी।

(v) कालावधि :– विभिन्न संवर्गीय पद के लिए विहित वेतनमानों के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि मानी जायेगी।

(vi) प्रोन्नति हेतु राज्य में प्रवृत आरक्षण प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

10. <u>पदस्थापन/स्थानांतरण</u>

नियंत्री पदाधिकारी पदस्थापन/स्थानांतरण के लिए अधिकृत पदाधिकारी रहेंगे।

11. अवकाश/चरित्र पुस्ती/सेवा पुस्त आदि के संबंध में समय–समय पर इस हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश प्रभावी रहेंगे।

12. <u>अनुशासनिक कार्रवाई</u>

मूल कोटि के पद पर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राधिकार, नियुक्ति पदाधिकारी (जिला निबंधक–सह–उपायुक्त) एवं प्रोन्नति के उच्चतर पदों पर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राधिकार, नियंत्री पदाधिकारी (प्रधान सचिव/सचिव) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग होंगे।

13. <u>प्रकीर्ण</u>

(क) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में ऊपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति संवर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को होगी।

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।

(ग) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

(घ) नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से अस्थायी लिपिक, निम्नवर्गीय लिपिक तथा स्थायी लिपिक, उच्चवर्गीय लिपिक माने जायेंगे।

14. <u>निरसन और व्यावृत्ति</u>

(क) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व के इस नियमावली के विषयों पर निर्गत नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।

(ख) ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित आदेश द्वारा या उसके अधीन शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 3/नि० अरा०–52/2016...4315.../ राँची,दिनांक...23-08-17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 3/नि० अरा०–52/2016...4315.../ राँची,दिनांक...23-08-17

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 3/नि० अरा०–52/2016...4315.../ राँची,दिनांक...23-08-17

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ जिला निबंधक–सह–उपायुक्त, झारखण्ड/महाधिवक्ता का कार्यालय, झारखण्ड, उच्च न्यायालय, राँची/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची/सभी निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, झारखण्ड/सभी जिला अवर निबंधक, झारखण्ड/अवर निबंधक, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

& uploaded 23.8.17